न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :–91/2022

अनवान मुकदमा –

1. हरद्वारीलाल पुत्र स्व. रामनारायण जाति बिश्नोई नि. 2 एल.के.एस. बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. चावली देवी पत्नी स्व. हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. अस्मानी देवी पुत्री स्व. हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रामबाई पुत्री स्व. हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. निर्मला देवी पुत्री स्व. हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. सुन्दर देवी पुत्री स्व. हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. जमना देवी पुत्री स्व. हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. चावली देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. कुलदीप पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. विनोद कुमार पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. इन्द्रा देवी पुत्री स्व. ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. सोमा देवी पुत्री स्व. ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
12. मीरगा देवी पत्नी स्व. प्रेमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
13. विजेन्द्र पुत्र स्व. प्रेमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
14. मनीष स्व. प्रेमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
15. अन्जू देवी पुत्री स्व. प्रेमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
16. तमन्ना देवी स्व. प्रेमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
17. लिछमा देवी पुत्री स्व. रामनारायण पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी
18. नाथीदेवी पत्नि नन्दराम जाति कुम्हार निवासी [illegible] तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:26 IST
Reason: SelfAttested

03.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

–:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता --- वादी
2. श्री सन्दीप सैन अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 18
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 19

–:: निर्णय :–

दिनांक – 03/06/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता वही है जो उक्त वाद पत्र के शीर्षक में अकिंत है।

हरचन्द पुत्र रामरख जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 8 एलजीडब्ल्यू – ए के प0न0 27/287(39) कि0न0 21–22 की 0.506 है0 अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित जमाबंदी चक 8 एलजीडब्ल्यू–ए सं. 2073–2076 संलग्न वाद पत्र किया गया है।

हरचन्द ने अपने नाम दर्ज उक्त 0.506 है0 भूमि को जरिए पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 07.07.1980 को वादी के पिता श्री रामनारायण पुत्र श्री गुलाबराम जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला को बेचान कर दस्तावेज निष्पादित व पंजीकृत करवा दिया था। चित्रप्रति दस्तावेज बैयनामा दिनांक 07.07.1980 संलग्न वाद पत्र किया गया है।

वादी के पिता श्री रामनारायण की मृत्यु दिनांक 26.06.1994 को हो चुकी है। उनकी पत्नी वादी की माता रामेश्वरी देवी की मृत्यु दिनांक 06.05.2006 को हो चुकी है। श्री रामनारायण से दो वारिस पुत्र हरद्वारीलाल–वादी व पुत्री लिछमादेवी–प्रतिवादिया सं. 17 है। ये दोनों ही श्री रामनारायण के जायज व कानूनी वारिस है। अन्य कोई वारिस नहीं है।

हरचन्द पुत्र रामरख बिश्नोई की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिस प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 व दो पुत्र ओमप्रकाश व प्रेमप्रकाश थे। दोनों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। ओमप्रकाश पुत्र हरचन्द के वारिस प्रतिवादी सं. 7 से 11 है तथा प्रेमप्रकाश के वारिस प्रतिवादी सं. 12 से 16 है। इनके अलावा अन्य कोई वारिस वादी की जानकारी में नहीं है।

राजीनामा की दफा 2 में वर्णित प्रश्नगत भूमि पर खरीद के समय दिनांक 07.07.1980 से वादी के पिता श्री रामनारायण का बतौर खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा है। पिता श्री रामनारायण की मृत्यु के बाद इस भूमि पर वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। स्व. श्री रामनारायण के दो वारिस वादी एवं प्रतिवादीया सं. 17 है। प्रतिवादीया सं. 17 लिछमादेवी ने वर्षों पूर्व अपना 1/2 हिस्सा अपने भाई वादी के पक्ष में घरू–तौर पर छोड़ दिया था। उसने पिता रामनारायण के नाम दर्ज भूमि में कोई हिस्सा नहीं लिया। इसलिए इस भूमि पर वादी बतौर खातेदार काबिज काश्त है।

प्रतिवादी सं. 1 ता 16 जो स्व. श्री हरचन्द के वारिस है। श्री हरचन्द ने राजीनामा की दफा 2 में वर्णित भूमि वादी के पिता श्री रामनारायण को जरिये बैयनामा बेचान कर दी थी। इसलिए इस भूमि पर हरचन्द व उसके वारिसान का कोई हक हिस्सा नहीं है। पिता रामनारायण की इस प्रश्नगत भूमि में प्रतिवादीया सं. 17 ने कोई हिस्सा नहीं लिया उसने अपना हिस्सा वादी के पक्ष में छोड़ दिया था इसलिए वादी इस 0.506 हैक. भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रश्नगत भूमि वादी की खातेदारी [illegible] उसमें प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। परंतु राजस्व अभिलेख में यह भूमि [illegible] मृतक हरचन्द के नाम दर्ज है। जिसमें वादी के अधिकारों पर विपरीत [illegible] पड़ता है, इसलिए वादी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जाकर घोषित किया जावे :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:26 IST
Reason: SelfAttested

03.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

घोषित किया जावे कि तहसील पीलीबंगा के चक 8 एलजीडब्ल्यू – ए के प0न0 27/287(39) कि0न0 21-22 की 0.506 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 15.3.2022 को प्रतिवादीया संख्या 17 व वादी मय अधिवक्तागण हाजिर अदालत आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 17 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभय पक्ष की पहचान जरिए वकील तथा पहचान दस्तोवज साबित होने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। दिनांक 25.4.2022 को वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 की ओर से हस्ताक्षरित इकबालदावा पेश किया गया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत इकबालदावा पर प्रतिवादी पक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर इकबालदावा शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7.7.1980 जो कि उप-पंजीयक सूरतगढ़ द्वारा पंजीकृत है, के आधार पर वाद में वर्णित भूमि चक 8 एलजीडब्ल्यू-ए के प0न0 27/287(39) कि0न0 21-22 की 0.506 है0 अनकमाण्ड खातेदारी वादी के पिता रामनारायण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के पति/पिता/दादा/नाना ~~द्वारा~~ से क्रयशुदा है और विक्रेता के समस्त वारिसान को उक्त वर्णित बैयनामा पर ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 8 एलजीडब्ल्यू – ए के प0न0 27/287(39) कि0न0 21-22 की 0.506 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

03.06.2022

(रणजीत कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आ0-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :–91/2022

अनवान मुकदमा –

1. हरद्वारीलाल पुत्र स्व. रामनारायण जाति बिश्नोई नि. 2 एल.के.एस. बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. चावली देवी पत्नी स्व. हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. अस्मानी देवी पुत्री स्व. हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रामबाई पुत्री स्व. हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. निर्मला देवी पुत्री स्व. हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. सुन्दर देवी पुत्री स्व. हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. जमना देवी पुत्री स्व. हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. चावली देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. कुलदीप पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. विनोद कुमार पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. इन्द्रा देवी पुत्री स्व. ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. सोमा देवी पुत्री स्व. ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
12. मीरगा देवी पत्नी स्व. प्रेमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
13. विजेन्द्र पुत्र स्व. प्रेमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
14. मनीष स्व. प्रेमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
15. अन्जू देवी पुत्री स्व. प्रेमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
16. तमन्ना देवी स्व. प्रेमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
17. लिछमा देवी पुत्री स्व. रामनारायण पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:26 IST
Reason: SelfAttested

03.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

18. नाथीदेवी पत्नि नन्दराम जाति कुम्हार निवासी उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादीगण

-:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:-

-:: निर्णय ::-

दिनांक – 03/06/2022

वादी की ओर से श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 18 की ओर श्री सन्दीप सैन, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 8 एलजीडब्ल्यू – ए के प0न0 27/287(39) कि0न0 21-22 की 0.506 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 03/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.06.2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:08:26 IST
Reason: SelfAttested